



परिषद की कानपुर जोन के अन्तर्गत नवनिर्मित/नवविकसित/निरस्तीकरण से रिक्त आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी

आवंटन/नीलामी
की तिथि:
28.08.2015
समय
10.30 बजे

**स्थल : कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त (कानपुर जोन),
आफिस काम्पलेक्स (भू-तल) केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर**

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (आवंटन द्वारा)				नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यवसायिक (दुकानें एवं किरायास्)				लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)							
सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित दर्ज/अनुमानित मूल्य श्री होल्ड सहित (रु. लाख में)	पात्रता	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	अनुमानित मूल्य श्री होल्ड सहित (रु. लाख में)		व्यवसायिक भूखण्ड (07 नग)							
हंसपुरम योजना संख्या -2, कानपुर				चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना उन्नाव				3/C- 35	200.00	17920.00	1.20	40%	9.60		
(जी+2) 30/40 प्रकार के भवन (14 नग)				दुकानें (08 नग)				4/C- 41	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60		
7/1G-4, 7/1F-5, 7/1F-7, 7/1F-8, 7/2F-5, 7/2F-6, 7/2F-8, 7/1S-9, 7/1S-10, 7/1S-12, 7/2S-9, 7/2S-10, 7/2S-11, 7/2S-12	17.84 to 23.48	4.50 to 5.00	मुख्यालय के आदेशों के क्रम में वर्ष-2010 के 18/40 प्रकार के अवशेष पात्रता वर्गानुसार पत्र 13 नग पंजीकृत आवंटन के मध्य आवंटन प्रस्तावित है।	S-6	9.74	1.35		4/C- 44	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60		
आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)				S-7	9.74	1.35		4/C- 45	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60		
केशवपुरम योजना संख्या -1, कानपुर				S-8	9.74	1.35		4/C- 60	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60		
आवासीय भूखण्ड 171.00 वर्गमीटर से अधिक (01 नग)				S-9	9.74	1.35		4/C- 62	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60		
H-41	207.97	17920.00 Per Sq.m.	अपंजीकृत	S-10	10.21	1.41		4/C- 63	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60		
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या -3 (फेज-2), कानपुर				S-11	10.21	1.41		योजना संख्या- 1, छिबरामऊ (कन्नौज)							
मध्यम आय वर्ग 56 / 121 का भवन (01 नग)				S-12	9.74	1.35		संस्थागत भूखण्ड (01 नग)							
3/1703	124.1	28.17	अपंजीकृत	S-13	9.74	1.35		INS- 4/101	1287.33	8686.00	1.50	35%	15.00		
नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यवसायिक (दुकानें एवं किरायास्) सम्पत्तियों का विवरण				किरायास् (01 नग)				शैक्षिक भूखण्डों का विवरण (नीलामी द्वारा)							
सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	अनुमानित मूल्य श्री होल्ड सहित (रु. लाख में)		K-2	7.455	0.98		शैक्षिक भूखण्डों का आवेदन पत्र प्राप्त / जमा करने की तिथि दिनांक: 14.08.2015 से 14.09.2015 तक है।							
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या- 3 (फेज-1) कानपुर				व्यवसायिक श्रेणियों की सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)				सेक्टर / भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	वर्तमान भूमि वर + लीजपेस्ट + कार्गु शुल्क (कार्गु की स्थिति में) प्र.प्र.मी.	भूखण्ड का मूल्य दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी वर के अनुसार (रु. लाख में)	बैंक ड्राफ्ट द्वारा बयाना धनचरित (रु. लाख में)	अन्य विवरण		
दुकानें (08 नग)				सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित दर्ज/अनुमानित मूल्य श्री होल्ड सहित (रु. लाख में)	एफ.ए. आर.	प्राप्तवत कवरज प्रतिशत	अधिकतम कैचमेंट (मी.सें)	केशवपुरम योजना संख्या- 1, कानपुर					
POCKET-4 S-01 ©	22.28	7.70		व्यवसायिक भूखण्ड (02 नग)							शैक्षिक भूखण्ड (02 नग) (लीज पर)				
POCKET-4 S-02	21.46	7.05		I/C-5©	490.50	39424.00	1.20	30%	15.00	पीएस सेक्टर- आई	1507.50	19360.00	29185200.00	29185200.00	-
POCKET-4 S-03	21.46	7.05		N/COM-08© (UNRESERVED)	100.14	39424.00	1.20	40%	10.50	पीएस सेक्टर- एम	1870.50	19360.00	36212880.00	36212880.00	-
POCKET-4 S-04	21.46	7.05		N/COM-09 (RESERVED)	92.63	35840.00	1.20	40%	10.50	अम्बेडकरपुरम योजना संख्या- 3, (फेज- 1), कानपुर					
POCKET-4 S-05	21.46	7.05		कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड (01 नग)				शैक्षिक भूखण्ड (02 नग) (लीज पर)							
POCKET-4 S-06	21.46	7.05		M/CS-2 © (RESERVED)	98.10	39424.00	1.50	60%	15.00	भूखण्ड सं.- ए	960.00	15730.00	15100800.00	15100800.00	-
POCKET-4 S-07	21.46	7.05		संस्थागत भूखण्ड (02 नग)				भूखण्ड सं.- सी							
POCKET-4 S-08	21.46	7.05		INP-5 ©	1344.00	29568.00	1.50	35%	15.00	2448.00	15730.00	38507040.00	38507040.00	-	
POCKET-4 S-09	21.46	7.05		G/INS-1	2064.62	26880.00	2.50	35%	15.00	अम्बेडकरपुरम योजना संख्या- 3, (फेज- 2), कानपुर					
POCKET-4 S-10 ©	22.28	7.70		अम्बेडकरपुरम योजना संख्या- 3, (सेक्टर-ई), कानपुर				शैक्षिक भूखण्ड (06 नग) (लीज पर)							
POCKET-1 P-1/S-03	18.77	6.53		शॉपिंग भूखण्ड (02 नग)				1/पी.एस.							
POCKET-1 P-1/S-04	18.77	6.53		E/SHOP P-1© (UNRESERVED)	791.19	39424.00	1.20	40%	15.00	सेक्टर- 7/ एनएस- 6	1097.60	15730.00	17268394.00	17268400.00	-
POCKET-1 P-1/S-05	18.77	6.53		E/SHOP P-2 (RESERVED)	796.67	35480.00	1.20	40%	15.00	सेक्टर- 8/ पीएस- 1	894.00	15730.00	14062620.00	14062620.00	-
POCKET-1 P-1/S-06	18.77	6.53		अम्बेडकरपुरम योजना संख्या- 3, (फेज- 2), कानपुर				सेक्टर- 8/ एनएस- 1							
POCKET-1 P-1/S-07	18.77	6.53		व्यवसायिक भूखण्ड (02 नग)				सेक्टर- 8/ एनएस- 2							
POCKET-1 P-1/S-08	18.77	6.53		6/COM.1/3	420.00	29120.00	1.50	55%	12.50	9/ पीएस- 3	1507.75	15730.00	23716910.00	23716910.00	-
POCKET-1 P-1/S-09	18.77	6.53		6/COM.1/4	450.00	29120.00	1.50	55%	12.50	हंसपुरम योजना संख्या- 2, कानपुर					
POCKET-1 P-1/S-10	18.77	6.53		हंसपुरम योजना संख्या- 2, कानपुर				शैक्षिक भूखण्ड (05 नग) (लीज पर)							
POCKET-1 P-1/S-11 ©	19.56	6.70		सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड (04 नग) (लीज पर)				सेक्टर- ए एनएस/पीएस							
POCKET-2 P-2/S-12 ©	19.56	6.70		Sector 1A ©	839.12	12100.00	1.50	35%	10.00	सेक्टर- 1 बी एनएस/पीएस	935.45	12100.00	11318945.00	11318950.00	-
POCKET-2 P-2/S-13	18.77	6.53		Sector 1B ©	1805.00	12100.00	1.50	35%	10.00	सेक्टर- 1 बी एनएस/पीएस	1365.00	12100.00	16516500.00	16516500.00	-
POCKET-2 P-2/S-14	18.77	6.53		Sector 5G ©	834.75	12100.00	1.50	35%	10.00	सेक्टर- 5 बी एनएस	1402.50	12100.00	16970250.00	16970250.00	-
POCKET-2 P-2/S-15	18.77	6.53		Sector 5H ©	1627.50	12100.00	1.50	35%	10.00	सेक्टर- 5 बी एचएस	6960.00	12100.00	84216000.00	84216000.00	-
POCKET-2 P-2/S-16	18.77	6.53		ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (02 नग)				लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़							
POCKET-2 P-2/S-17	18.77	6.53		7GH- 02	8745.07	16914.00	1.50	40%	-	शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)					
POCKET-2 P-2/S-18	18.77	6.53		7GH- 04	7420.44	16914.00	1.50	40%	-	6 बी पीएस	973.76	9680.00	9425997.00	9426000.00	-
POCKET-2 P-2/S-19	18.77	6.53						गणेश बिहार योजना, फतेहपुर							
POCKET-2 P-2/S-20	18.77	6.53						शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)							
								सेक्टर-1, एनएस							
								708.00 4961.00 3512388.00 3512400.00 -							

नोट : (1) शैक्षिक भूखण्डों हेतु नीलामी की तिथि को संस्था का पंजीकरण न्यूनतम तीन वर्ष पुराना होना एवं संस्था की विगत तीन वर्षों की बैलेन्सशीट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित होना अनिवार्य है।
(2) उ० प्र० सरकार के निर्णयानुसार शैक्षिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कुल देय फीस में 50 प्रतिशत छूट भी दिया जाना अनिवार्य होगा।
(3) उ० प्र० सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लागू विधिक प्राविधान, अधिनियम एवं निर्देश आवंटनों पर प्रभावी होंगे।
(4) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों/प्रचार अनुभाग मुख्यालय से विनियमावली सम्बन्धित पुस्तिका रु 1000.00 का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। जिसके अनुसार नीलामी में भाग लिया जाना है।
(5) शैक्षिक भूखण्डों की श्रेणी का निर्धारण यू.पी.बोर्ड/सी.बी.एस.ई. बोर्ड एवं अन्य द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप की जायेगी।
नियम व शर्त :- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों/प्रचार अनुभाग मुख्यालय से विनियमावली सम्बन्धित पुस्तिका रु 1000.00 का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। जिसके अनुसार नीलामी में भाग लिया जाना है।
A. समस्त सम्पत्तियों की नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा।
B. सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सीलड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
C. सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
D. आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर (आवेदन पत्र दिनांक 26.08.2015 तक तथा सीलड बिड नीलामी से एक दिन पूर्व) कार्यालय कार्य दिवस में सायं 5.00 बजे तक जमा करना होगा। नीलामी तिथि को प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक टोकन निर्गत किये जायेंगे। तदोपरान्त प्रातः 11:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
E. आरक्षित भूखण्डों के विरुद्ध फर्म/पंजीकृत सोसाइटी पर कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं है तथा पावर आफ एटार्नी एवं अधिकृत पत्र के आधार पर बोली लगाना अनुमन्य न होगा।
F. प्रदेशन के सम्बंध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
G. सम्पत्ति आवंटन/नीलामी सम्बन्धी नियम व शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।



परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिये

जन सुविधा केन्द्र

1800-180-5333 (टोल फ्री), 0522-2236803

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में

प्रातः 10.00 बजे से

सायं 5.00 बजे तक

उपलब्ध है।

15 15700-2005



(सेवागत प्रमाणित)

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

सर्वोत्तम प्रमाणित संस्था

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Web : <http://www.upavp.com> E-mail : upavp@sanchar.net.in

भारतीय चक्र मूर्ति 15 15700



SOMs